डैम अथवा वर्षाजल संचयन हेतु जल संचयन संरचनाओं का निर्माण भी कराया जा सकेगा जिससे सिंचाई क्षमता का सृजन एवं भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि लाई जायगी जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सके।

ख) प्रति संरचना निर्माण से न्यूनतम 2–8 हे0 भूमि में सुनिष्चित सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी।

ग) बंजर भूमि विकास के तहत योजना स्थल चयन में भूमि प्रतिवेदन प्राप्त कर ग्रामीणों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जायगी।

घं) स्थानीय लाभुकों की समिति बनाकर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

ड़) पूर्व से जहाँ कृषक कल्ब, SHG ग्रुप है, उसकी सहभागिता कंडिका–3(घ) के क्रम में किया जा सकेगा।

4. संरचना निर्माण संबंधी योजना क्रियान्वयन सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा।

5. क) योजना कार्यान्वयन के सभी stage का फोटोग्राफी किया जायेगा। वह अभिलेख का अंश रहेगा।

ख) लाभुक सूची, ,खाता, खेसरा, रकबा, भूमि का प्रकार सहित अभिलेख का अंश रहेगा।

ग) योजना कार्यान्वयन करने वाले पदाधिकारी योजना प्रारम्भ के पूर्व स्थल निरीक्षण कर, सभी शर्तो से संतुष्ट होकर योजना का कार्यान्वयन करेंगे।

घ) योजना स्थल चयन, निर्माण कार्य, योजना की सफलता का दायित्व कार्यान्वयन एजेन्सी का होगा। योजना कार्यान्वयन में आई किसी भी गड़बड़ी के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी पूर्णतः जिम्मेदार होगी।

ड़) कार्यान्वयन एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि land use/agriculture/horticulture बढ़ावा के कार्याक्रम से पूर्ण linkage करेगे।

च) लाभुक/Structure/site का ब्यौरा आत्मा की website/Govt site (State) पर डाला जायेगा ताकि अगले 3 वर्ष तक कम से कम regular सम्पर्क कर linkage बनाकर, पूरे कलस्टर का successful development/integration हो जाय।

घ) कृषकों का प्रशिक्षण समेति/आत्मा/NHM/ राज्य योजना के तहत संबंधित activity से link करा कर कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. क) जिला स्तर पर उपायुक्त/उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित water shed committee में अन्यान्य मद के अंतर्गत इसे भी रख कर विमर्श, समीक्षा की जायेगी।

ख) राज्य स्तर पर निदेशक कृषि की अध्यक्षता में निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक समेति/निदेशक NHM के साथ द्विमासिक बैठक कर, सघन समीक्षा, linkage-convergance सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रगति पर नजर रखकर documentation किया जायेगा। Reporting Format, committee approve करेगी।

ग) निदेशक भूमि संरक्षण नियमित monitoring करेंगे एवं सारा ब्यौरा online करके रखेगे ताकि सधन monitoring हो सके।

घ) मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 3 तारीख तक निदेशक, भूमि संरक्षण सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

12. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक– 17.04.1998, 1800 तथा कोषागार संहिता के नियम – 300 का अनुपालन करते हुए की जायेगी।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह देखें कि जिस योजना या कार्य के लिए राशि की निकासी की जा रही है, उसे किसी अन्य श्रोत से राशि मिल रही हो या मिलने वाली हो तो उसके निराकरण हेतु उस राशि की निकासी रोक कर विभाग एवं सम्बंधित पदाधिकारी को अविलम्ब इसकी सूचना देंगे। साथ ही निकासी की गयी राशि का लेखा की एक प्रति भी विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
14. प्रस्ताव पर महामहिम राज्यपाल के सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।
15. प्रस्ताव एवं संलेख में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सशर्त प्राप्त है कि योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रिया/प्रावधानो के अनुरूप ससमय किया जाय।
16. वित्त विभाग के पत्रांक 627 दिनांक 12.02.2002 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

21/10/09
सरकार के सचिव,

ज्ञापांक : 41 कृ0, राँची/दिनांक : 21-10-09

प्रतिलिपि : – अनुलग्नक के साथ विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/09
सरकार के सचिव,

ज्ञापांक : 41 कृ0, राँची/दिनांक : 21-10-09

प्रतिलिपि :– सभी कोषागार/उप कोषागर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/09
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 41 कृ0, राँची/दिनांक : 21-10-09

प्रतिलिपिः – अनुलग्नक के साथ विशेष सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (योजना)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं गन्ना विकास विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष पदाधिकारी (योजना), कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, कृषि, झारखण्ड, रांची निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची/निदेशक NHM/निदेशक समेति/संयुक्त कृषि निदेशक (अभि0), भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची/सहायक निदेशक (सर्वे) भूमि संरक्षण, हजारीबाग/सम्बंधित सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/09
सरकार के सचिव

अनुलग्नक :— 1

वित्तीय वर्ष 2009—10 में राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न शीर्ष में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार बंजर भूमि विकास कार्य हेतु व्यय विवरणी

(भौ०हे० में, वित्तीय—लाख में।)

क्रमांक	जिला	वित्तीय वर्ष 2009—10 का लक्ष्य							
		टी०एस०पी०		ओ०एस०पी०		एस०सी०पी०		कुल	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रांची	50	20.00	-	-	-	-	50	20.00
2	खूंटी	45	18.00	-	-	-	-	45	18.00
3	लोहरदगा	20	8.00	-	-	15	6.00	35	14.00
4	गुमला	40	16.00	-	-	-	-	40	16.00
5	सिमडेगा	40	16.00	-	-	-	-	40	16.00
6	पू० सिंहभूम	40	16.00	-	-	-	-	40	16.00
7	सरायकेला—खरसावां	50	20.00	-	-	-	-	50	20.00
8	प० सिंहभूम	50	20.00	-	-	-	-	50	20.00
9	लातेहार	35	14.00	-	-	10	4.00	45	18.00
10	पलामू	-	-	20	8.00	15	6.00	35	14.00
11	देवघर	-	-	30	12.00	10	4.00	40	16.00
12	दुमका	40	16.00	-	-	-	-	40	16.00
13	साहेबगंज	40	16.00	-	-	-	-	40	16.00
14	पाकुड़	40	16.00	-	-	-	-	40	16.00
15	जामताड़ा	30	12.00	-	-	10	4.00	40	16.00
16	गोड्डा	10	4.00	20	8.00	10	4.00	40	16.00
17	गढ़वा	15	6.00	20	8.00	10	4.00	45	18.00
18	हजारीबाग	-	-	37	14.80	20	8.00	57	22.80
19	रामगढ़	-	-	20	8.00	25	10.00	45	18.00
20	कोडरमा	-	-	30	12.00	20	8.00	50	20.00
21	चतरा	-	-	25	10.00	25	10.00	50	20.00
22	गिरीडीह	-	-	25	10.00	10	4.00	35	14.00
23	बोकारो	-	-	20	8.00	10	4.00	30	12.00
24	धनबाद	-	-	20	8.00	10	4.00	30	12.00
25	मुख्यालय रांची (आकस्मिता)	-	-	-	0.20	-	-	-	0.20
	कुल योग :—	545	218.00	267	107.00	200	80.00	1012	405.00

41 21-10-09

21/10/09
सरकार के सचिव

ड़) विकास आयुक्त के स्तर पर 4 माह में एक बार समीक्षा की जायेगी। इस हेतु निदेशक, भूमि संरक्षण सदस्य सचिव रहेंगे। विकास आयुक्त की सहमति से सदस्य आमंत्रित किए जायेगे।

7. सभी लाभुकों को KCC etc बैंक से co-ordinate कर उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी शीर्षवार निम्न प्रकार की जायेगी :—

क्र0	शीर्ष	राशि (लाख रु0 में)
01	मुख्यशीर्ष–2402–मृदा तथा जल संरक्षण, जनजातीय उपयोजना, लघुशीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–06–बंजर भूमि विकास, विस्तृतशीर्ष–05,निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य 01P240200796060544	रु0 218.00लाख (दो करोड़ अठारह लाख) मात्र।
02	मुख्यशीर्ष–2402–मृदा तथा जल संरक्षण, अन्य क्षेत्रीय उपयोजना, लघुशीर्ष–101–मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण, उपशीर्ष–06–बंजर भूमि विकास, विस्तृतशीर्ष–05–निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य 01P240200101060544	रु0 107.00 लाख (एक करोड़ सात लाख) मात्र ।
03	मुख्यशीर्ष–2402–मृदा तथा जल संरक्षण, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीभूत उपयोजना, उपशीर्ष–06–बंजर भूमि विकास, विस्तृतशीर्ष–05–निर्माण, 44 लघु निर्माण कार्य 1P240200789060544	रु0 80.00 लाख (अस्सी लाख) मात्र।
	कुल योग :—	रु0 405.00 लाख (चार करोड़ पाँच लाख) मात्र।

9. निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी,राँची/गुमला/जमशेदपुर/चाईबासा/डालटेनगंज/गढ़वा/देवघर/सहायक निदेशक सर्वे, भूमि संरक्षण, हजारीबाग/सभी सम्बंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

10. स्वीकृत राशि की निकासी सभी सम्बंधित जिलों के जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

11. व्यय की गयी राशि से सम्बंधित सम्पूर्ण लेखा का संधारण निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा तथा योजना कार्यान्वयन के पश्चात सभी सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विस्तृत कार्यान्वयन प्रतिवेदन विस्तृत व्यय विवरणी के साथ अलग–अलग एवं निदेशक भूमि संरक्षण द्वारा समेकित रूप से विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को ससमय समर्पित किया जायगा।

41
21-10-09

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0रा0यो0–04 / 2009–10 41 राँची / दिनांक 21-10-09

प्रेषक,

ए0 पी0 सिंह
सरकार के सचिव

सेवा में,

अनौपचारिक तौर पर परामर्शित

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये राज्य योजनान्तर्गत रू0 405.00 लाख (चार करोड़ पाँच लाख) रूपये मात्र की लागत पर बंजर भूमि विकास हेतु भू एवं जल संरक्षण कार्य की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए राज्य योजनान्तर्गत रु0 405.,00 लाख (चार करोड़ पाँच लाख) रुपये मात्र की लागत पर बंजर भूमि विकास हेतु भू एवं जल संरक्षण कार्य की योजना की स्वीकृति दी गयी है (व्यय विवरणी संलग्न–अनुलग्नक I)।

2. (क) उक्त योजनान्तर्गत राज्य के वर्षाश्रित क्षेत्रों में बंजर भूमि में भू क्षरण रोकने, खेतों में नमी संरक्षण तथा वर्षाजल संचयन, अपवाह जल (run off water) की गति कम करने एवं जल के साथ बहते हुए साद के अवरोध (retention) हेतु समेकित रूप से कार्य किया जायेगा।

ख) स्थल के अनुरूप मेड़बंदी / बेंच टेरेस / डोभा / गली नियंत्रण / अर्देन चेकडैम / लूज़ बोल्डर चेक डैम {औसतन10 से 40 हजार रु0 प्रति संख्या / हे0(मेडबंदी अधिकतम रू 10,000 / – एवं बेंच टेरेस / गली नियंत्रण अधिकतम रू 40,000 / हे0)} एवं जल संचयन संरचना / साद अवरोधक बाँध / बिरसा पक्का चेक डैम (औसत 2 से 5 लाख रु0 प्रति संरचना) निर्माण कार्य कराया जायगा।

ग) योजना के समेकित क्रियान्वयन के तहत कम से कम 5हे0 भूखण्ड का होना आवश्यक है।

घ) योजना की प्रति एकड़ लागत GOI द्वारा निर्धारित watershed area treatment प्रति हेक्टर के अधीन ही रखा जायेगा।

ड़) योजनान्तर्गत convergance NHM, NREGA, RKVY, Micro irrigation एवं विभाग की कृषि उत्पादन बढ़ाने की CSS/CS/राज्य सरकार की योजना से किया जायेगा।

3. क) उक्त योजनान्तर्गत कृषि बंजर भूमि क्षेत्रों में उपलब्ध जलश्रोत में बिरसा पक्का चेक